

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डॉ. एस. रामकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:-2703284/2712376

E-mail ID - rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांक- राजस्थान/जय/बै.शै./आ.वि.प्र.शै./18-19/ 6628

दिनांक 20.1.19/2018

दृष्टा-निर्देश

सीजनल छात्रावास (3 माह, 6 माह एवं 9 माह) सत्र 2018-19

राज्य में बहुत से परिवार आजीविका अर्जन हेतु अस्थायी रूप से अन्यत्र प्रवासन कर जाते हैं। यह अस्थायी प्रवासन सामान्यतः माह सितंबर-अक्टूबर से माह फरवरी-मार्च तक होता है। इस कारण राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका भी विद्यालय को छोड़कर परिवार के साथ अन्यत्र चले जाते हैं एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं। राज्य में इस प्रकार के बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूर्ण करने का अवसर प्रदान करने के लिए गत वर्ष से अस्थायी प्रवासन करने वाले परिवार-बाहुल्य जिलों में सीजनल छात्रावास संचालित किये गये हैं। सत्र 2018-19 में संचालित किये जाने वाले सीजनल छात्रावास का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	3 माह	6 माह	9 माह	कुल
1	अनवर	0	100	100	200
2	बांसवाड़ा	400	250	0	650
3	बूंदेलखंड	0	150	100	250
4	जयसमेर	0	200	150	350
5	नगौर	0	100	0	100
6	सिरोही	150	100	0	250
7	उदयपुर	0	100	0	100
कुल		550	1000	350	1900

लगायती संख्या

सत्र 2018-19 में सीजनल छात्रावास (Seasonal Hostel) के संचालन हेतु दिशानिर्देश इस प्रकार से हैं:-

1. **लगायती संख्या की पहचान/प्राप्ति:-** राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत 6 से 14 आयु वर्ग (राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत शिक्षा से वंचित बालक/बालिका होने की स्थिति में आयु 14 वर्ष से अधिक भी हो सकती है।) के ऐसे बालक/बालिकाएँ, जिनके माता-पिता/परिवार जीविकोपार्जन हेतु अस्थायी रूप से प्रवासन करते हैं या कर गये हैं, Seasonal Hostels (साइमेटरी छात्रावास) सुविधा का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

2. **पात्र बालक/बालिकाओं की संख्या का निर्धारण:-** ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने प्रचारात प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में नोडल अधिकारी के क्षेत्र में आने वाले विद्यालय के माध्यम से Seasonal Hostels हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या की सूचना संकलित करेंगे एवं छात्रावास में रहवास हेतु इन बालक-बालिकाओं के अभिभावक/संरक्षक की सहमति लेंगे। तत्पश्चात् इन बालक-बालिकाओं के परिवारों के अस्थायी प्रवासन करने संबंधी तथ्य की जाँच कर सरपंच/वार्ड प्रभारी व ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल परिसर-1 पर संचालन प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र के आधार पर लगामार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।

3. Seasonal छात्रावास की संख्या का निर्धारण :-

- न्यूनतम 25 विद्यार्थियों के समूह हेतु एक छात्रावास संचालित किया जा सकेगा।
- एक छात्रावास में अधिकतम 49 विद्यार्थी निवास कर सकेंगे।
- बालिकाओं की संख्या 25 होने पर उनके लिए पृथक से छात्रावास का संचालन किया जावेगा। अन्यथा बालक/बालिकाओं के आवास एवं शौचालय एवं स्नानागार की पृथक-पृथक व्यवस्था करने हेतु एक ही परिसर में छात्रावास संचालित किया जावेगा।
- उक्त आधार पर एवं सुरक्षित, सुविधापूर्वक स्थल की उपलब्धता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने पर्याप्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में नोडल संस्था प्रधान संचालित किये जाने वाले छात्रावासों की संख्या निर्धारित करेंगे।
- माह माघ के बाद माइग्रेटेड छात्रावास संचालित नहीं किये जायेंगे। निश्चित अवधि के बाद संचालित करने के लिए संयोजक से स्वीकृति हेतु एक माह पूर्व पत्र प्रेषित करेंगे।

4. Seasonal छात्रावास स्थल का चयन एवं संचालन हेतु प्रस्ताव :-

- (a) ब: माही Seasonal छात्रावास संचालन हेतु बालक-बालिकाओं की संख्या, सुविधा एवं स्थान की उपलब्धता अनुसार स्थल के चयन का निर्णय ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीईईओ द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के लिए नोडल द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा -
- यथा संभव राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराये गए ऐसे भवनों में छात्रावास संचालित किये जायेंगे जो बालक/बालिकाओं की संख्या अनुसार उपयुक्त एवं सुरक्षित, विजली, पानी एवं शौचालय की सुविधा व्यवस्था वाले हों।
 - यदि अनुसूचित भवन उपलब्ध नहीं हों तो पर्याप्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पीईईओ किराये पर भवन लेने की स्वीकृति जारी करेंगे। किराये पर लिए गए भवन के किराये की व्यवस्था जन-सहायता से या स्वैच्छिक अनुदान से एकत्र राशि में से की जावेगी।
 - यदि लाभार्थियों की संख्या विद्यालय विशेष में 25 से कम हो तो ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ की सहायता के तहत के स्थान को Seasonal छात्रावास स्थल के रूप में चयनित किया जावेगा।

- (b) स्थान के चयन उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल संस्था प्रधान निम्न विद्यालय की एसएमसी द्वारा Seasonal छात्रावास का संचालन किया जाना है उसके द्वारा अथवा विद्यालय भवन से निम्न स्थान का Seasonal छात्रावास हेतु चयन होने पर उस चयनित स्थान के निकटतम स्थित राजकीय विद्यालय की एस.एम.सी. के माध्यम से Seasonal छात्रावास संचालन का प्रस्ताव परिशिष्ट-1 के अनुसार तैयार कर पीईईओ के माध्यम से अनिवार्यता निम्न परियोजना समन्वयक को अनुमोदनायक प्रस्तुत करायावेगा।

- (c) अनिवार्यता निम्न परियोजना समन्वयक Seasonal छात्रावास का प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस में जाँच व तदनुसार अनुमोदन कर प्रस्ताव की स्वीकृति निम्न परियोजना समन्वयक से करावा कर संबंधित पीईईओ के माध्यम से पीईईओ/नोडल को सूचित करेंगे।

- (d) प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने ही ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल Seasonal छात्रावास की समस्त तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था आदि कर एस.एम.सी. के माध्यम से Seasonal छात्रावास संचालन प्रारम्भ करेंगे। Seasonal छात्रावास आरम्भ दिनांक से अनिवार्यता निम्न परियोजना समन्वयक को अवगत करायावेगा एवं परिषद को पंजीकरण सूची सहित सूचना प्रेषित की जावेगी।

[illegible]

गर्भिका-2

उपलब्ध प्रक्षेपित स्थानीय अर्थार्थी में से निम्नानुसार भीट निर्धारित कर किया जाएगा:-

ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਮੁਢਲੇ ਹੈ

प्रारंभ किसे आ सकें।

➤ ऐल्यूकेशन वर्गलिस्ट्स व सहायक ऐल्यूकेशन वर्गलिस्ट्स के प्रभावी चयन हेतु आवश्यक संहिता, जनक द्वारा किये जाने वाले कार्य, देश मानदंड, योग्यता/चयन के आधार के संबंध में एस.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/नगरपालिका कार्यालय आदि में नोटिस वसूला कर व अन्य माध्यम कार्यालय, ग्राम पंचायत/नगरपालिका कार्यालय आदि में नोटिस वसूला कर व अन्य माध्यम

निम्नलिखित किताबें पढ़ें—
 > एल्बर्ट आइंस्टीन व सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित प्रयोगों का वर्णन करने वाली किताबें हैं।
 हार्वर्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी इन किताबों का वर्णन है।

-പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം

- बालिका छात्रावास क स्थानन हेतु महिला वाडन का होना अनिवार्य है।
- वाडन/एवंकेशन वॉलन्टीयर की सहायता हेतु प्रत्येक छात्रावास में एक सहायक एवंकेशन वॉलन्टीयर होना आवश्यक है।
- बालक व बालिकाओं का एक ही (संयुक्त) छात्रावास होने की स्थिति में एवंकेशन वॉलन्टीयर एवं सहायक एवंकेशन वॉलन्टीयर में से किसी एक पर महिला का स्थान अनिवार्यतः दिया जावेगा।
- एवंकेशन वॉलन्टीयर एवं सहायक एवंकेशन वॉलन्टीयर का स्थान एसेम्बली हॉल में होना आवश्यक है।

। ॥५३

- [illegible]

ହୃଦୟ - ହୃଦୟ ଇବଂ ହୃଦୟ

ഇടതു-ഇടതു 14 പ്രകാരം പ്രകാരം ഇടതു ഇടതു 14 ഇടതു ഇടതു 14

पर्यटन

➤ Seasonal બાજબી રજા કે નિર્ધારિત રજાના કોઈ સ્થળે નહીં-સર્વત્ર

७५५३/१३८-५८५

▷ सहस्रार्थ-संग्राहक (Co-ordinator)

[illegible]

- Seasonal छात्रावास में रहने वाले अधिस्तम्भ विद्यार्थी जिस विद्यालय के हैं उसकी एसएमसी द्वारा छात्रावास संचालन समिति के निर्देशन में छात्रावास का संचालन किया

5. ਭਾਗਵਾਤ ਸੁਬਾਨ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਦਿਵਾ-ਦਿਵਾ -

(B) सहायक एज्युकेशन वालिन्टियर का वयन -
 > स्थानीय स्तर का व्यक्ति का सहायक एज्युकेशन वालिन्टियर के रूप में वयन निर्धारित

(L)

*

9-15/11/11

(കുറ. ചി. 12024 & 2025) പൂർണ്ണ രേഖ ലഭ്യമാകുന്നു

नामिका-5

- अपने ब्लॉक के जीविकापान हेतु अस्थायी पलायन करने वाले परिवारों के 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकॉर्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यालय से जोड़ने एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक मुख्यालय में बगैर रखने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल से ग्राम Seasonal छात्रावास प्रारंभ का प्रस्ताव अपनी अभियान के साथ अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में Seasonal छात्रावास की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अभिलेख समय सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।

2. बीडेंडों का दायित्व :-

- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- Seasonal छात्रावास का संचालन अवधि के दौरान एक बार औषक निरीक्षण करवाना।
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थानित सहायक लेखाधिकारी द्वारा सभी मासिक निरीक्षण करना।
- जिले में संचालित Seasonal छात्रावास में से 15 प्रतिशत Seasonal छात्रावास का अभियान राशि व समायोजन संबंधी रिकॉर्ड संचारण करना।
- रखने हुए भौतिक एवं वित्तीय लेख प्राप्त करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में छात्रावास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं समीक्षा कदाकर संचालनात्मक अपाव करना।
- निगरानी की अद्यतन में होने वाली जिला निष्पादक समिति की बैठकों में Seasonal समय सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
- अधिकतम Seasonal छात्रावास की संख्या निर्धारित कर अभिलेख स्वीकृति जारी कर प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त Seasonal छात्रावास के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर मुख्यालय में बगैर रखने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- अपने जिले के जीविकापान हेतु अस्थायी पलायन करने वाले परिवारों के 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकॉर्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यालय से जोड़ने एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक मुख्यालय में बगैर रखने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।

1. डीपीसी/डीपीसी का दायित्व :-

(8) दायित्व निर्धारण :-

- माँ-नौटिका कमेटी, जिसमें बीडेंडों-अध्यक्ष, पीडेंडों/नोडल अधिकारी तथा बहुसंख्या प्रतिनिधित्व संस्था वाले विद्यार्थी का संस्थापक एवं Seasonal छात्रावास संचालन करने वाली एसएमसी के अध्यक्ष एवं सचिव सदस्य होने, मासिक बैठक आयोजित कर Seasonal छात्रावास का प्रबंधन करेगी एवं बैठक का कार्यालय तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित करेगी।
- मुख्यालय हेतु सूत्राव दिवस आयोजी।
- Seasonal छात्रावास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसकी समीक्षा की जायेगी एवं
- निगरानी की अद्यतन में होने वाली जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में Seasonal छात्रावास की समीक्षा की जायेगी।
- एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में

- अपने ब्लॉक में एक आर.पी. को वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली नियुक्त कर Seasonal छात्रावास संबंधी व्यवस्थाएँ एवं मॉनिटरिंग करना।
- Seasonal छात्रावास के एज्यूकेशन वॉलंटियर/वार्डन की मासिक बैठक का ब्लॉक स्तर पर आयोजन एवं रिकार्ड संधारण कर रिपोर्ट लिहा स्तर पर भिजवाना।
- ब्लॉक में संचालित Seasonal छात्रावासों का मासिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करना तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को संशोधन व बर्ताने में सहयोग करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लेख्य प्राप्त करना।
- Seasonal छात्रावास हेतु किए गए व्ययों का तथा अभिगम राशि का निवेदन समयावधि में समायोजन करना एवं रिकार्ड रखना।
- एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठकों में Seasonal छात्रावास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर समीक्षा करवाना।
- सीजनल छात्रावासों के प्रबंधन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी की मासिक बैठक आयोजित कर रिकार्ड संधारण एवं रिपोर्ट प्रेषण।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

3. ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालित प्रारम्भिक शिक्षण अधिकारी (PEEO) एवं शास्त्री क्षेत्र में गौडन प्रणालीयुक्त का दायित्व:-

- अपने ग्राम प्रचालन/वार्ड के जीविकापार्जन हेतु अस्थायी पलायन करने वाले परिवारों के 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनकी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक मुख्यधारा में बर्ताने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना एवं रिकार्ड अपडेट करना।

- Seasonal छात्रावास हेतु पात्र बालक-बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम प्रचालन/ वार्ड में Seasonal छात्रावास की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।

- Seasonal छात्रावास हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन वॉलंटियर/वार्डन एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलंटियर/वार्डन एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर का चयन करना।
- एसएमसी के द्वारा Seasonal छात्रावास हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर जांच के बाद स्वीकृति हेतु वीडियो के माध्यम से जिला परिक्षीकना समन्वयक को भिजवाना।

- Seasonal छात्रावास संबंधी समस्त आवश्यक पूर्व तैयारी एवं व्यवस्था (ज्या भोजन/अकादमिक/ सुरक्षा/ भूतपूर्व सुविधा) आदि सुनिश्चित करना तथा संबंधित आवश्यक समस्त रिकार्ड संचालित करना।

- अपने क्षेत्र में Seasonal छात्रावास का सांघातिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को संशोधन व बर्ताने में सहयोग करना।

- एज्यूकेशन वॉलंटियर की अनुपस्थिति/बैठक आदि में भाग लेने की दशा में Seasonal छात्रावास हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।

- Seasonal छात्रावास स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा Seasonal छात्रावास की समीक्षा हेतु दिवसाधिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण करना।

• छात्रावास में रहने वाले बालक/बालिकाओं की सुविधापूर्ण निवास संवर्धी एवं भोजन संवर्धी व दैनंदिन किताबों के सुचारु संचालन संवर्धी समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित

• जीवन छात्रास में दल दल बालक बालिकाओं का पञ्जीयन रजिस्टर परीक्षित-4 के

• निम्नी भी प्रकार की छवियाँ धीने पा गुरान उवावि कानिधिय को सपित करान।

Seasonal changes की समीक्षा हेतु द्विमासिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन कर रिकार्ड

सायणी एव अग्निर्वायुः पृथिवीरस्यता ।

निर्दिष्ट समयावधि में समाप्तित करना, उपलब्ध कराए जाने वाले योग एवं अन्त

आवश्यक सामग्री का निष्कर्षांतर कर कटना, विनाश कार्या हेतु जी.एफ. एच. ए.आर.

॥२५॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

|| ཡུལ་འཕེལ་གྱི་ལྷན་ཁྲིའི་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ ||

Seasonal खावास स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा सप्ताह में दो बार

वायव्य पारिभ्यक्त विज्ञान अधिकांश (PEEO) / शारीर क्षेत्र में गोल के निर्देशानुसार

உள்ள 14 சந்தர்ப்பங்கள் பரிசீலனை காலத்தி் 11ஐ சந்தர்ப்பங்கள் பரிசீலனை 24 சிபிஈ-24

एवं होने तक मुख्याधारा में बनाये रखने हेतु प्रयास करना एवं रिकार्ड अपडेट करना।

[illegible]

4. विद्यालय पर्यटन समिति के कार्य :-

- Seasonal **ભાગલાઈ** થમાઈતી થતી રામસત અગિયેસ પૂરકીત રહ્યાતી.

• Seasonal बाजारों में विक्रय का पैटर्न और आगामी वर्ष का निर्धारण

• पृष्ठद्वय का चालाक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विनीत अनुशासन को ध्यान में

• ग्रन्थ Seasonal खाद्य पदार्थों की परीक्षा-7 के अधीन थी।

छात्रावास में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्रातःकालीन व्यायाम, खेलकूद कराना तथा उन्हें शैक्षिक परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।

विद्यालय समय पर विद्यार्थियों को विद्यालय में छोड़ना एवं विद्यालय समय पश्चात उन्हें छात्रावास तक लाने की व्यवस्था करना।

बालक-बालिकाओं के साथ रोज़ाना विश्राम छात्रावास में ही रहना।

Seasonal छात्रावास में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं का पाक्षिक स्वास्थ्य परीक्षण/चिकित्सीय परामर्श क्षेत्र में सीएचसी/पीएचसी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करना।

पीटीए में बालक-बालिकाओं की उपस्थिति, शैक्षिक उपलब्धि तथा उनके रुहुरव पर विशेष चर्चा कर बैठक का कार्यवाही संचालित करना।

बॉक स्टीय बैठकों में भाग लेना।

निर्धारित समय पर अभिलेख संचारण करना।

भारमाराह को प्रेरित कर आवश्यक सहयोग करना।

Seasonal छात्रावास में सुचारु संचालन हेतु संबंधित सभी व्यवस्थाओं में सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर का आवश्यक सहयोग प्राप्त करना। सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर उपर्युक्त समस्त कार्य संचालन में वाईन के निर्देशानुसार सहायता करना।

किस्ती भी प्रकाश की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

(8) अभिलेख संचारण:-

Seasonal छात्रावास में निम्नानुसार अभिलेख संचालित करें-

- स्टाफ उपस्थिति पंजीका
- बालक/बालिका उपस्थिति पंजीका
- विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजीका
- छात्र/छात्रा पोटफोलियो
- पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजीका
- विद्यार्थी आगमन पंजीका
- बिल वाउचर पंजीक
- केश बुक

➤ बीईईओ उक्त रिकार्ड संचारण हेतु एज्युकेशन वॉलन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करें एवं Seasonal छात्रावास समर्पित पर यह समस्त रिकार्ड भारीण क्षेत्र में पीईईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल कार्यालय में संचालित रहेगा।

(9) सत्र 2018-19 हेतु लक्ष्य:-

• वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलवर, बांसवाडा, चुरू, जैसलमेर, नागौर, सिरोही एवं उदयपुर जिलों में Seasonal छात्रावास संचालित किए जाएंगे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य						कुल
		3 माह आवासीय शिविर	6 माह आवासीय शिविर	9 माह आवासीय शिविर	वित्तीय (a) 5000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी (राष्ट्र लाख में)	वित्तीय (a) 10000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी (राष्ट्र लाख में)	वित्तीय (a) 15000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी (राष्ट्र लाख में)	
1	अलवर	0	100	100	15.0	200	25.0	
2	बांसवाडा	400	250	25.0	0	650	45.0	
3	चुरू	0	150	15.0	100	250	30.0	
4	जैसलमेर	0	200	20.0	150	350	42.5	
5	नागौर	0	100	10.0	0	100	10.0	
6	सिरोही	150	100	10.0	0	250	17.5	
7	उदयपुर	0	100	10.0	0	100	10.0	
		550	27.5	1000	350	1900	180.0	

➤ उपर्युक्त जिलों में गत वर्ष में छात्रावास संचालित हुए हैं। अतः क्रम की गई स्थायी सामग्री का उपयोग किया जाना है।

बजट मापन 2018-19

स्वीजनल छात्रावास

(प्रति विद्यार्थी 3 माही यूनिट कॉस्ट @ 5000 तथा प्रति स्वीजनल छात्रावास 25 विद्यार्थी)

(तालिका 8)

S.No.	Items	Per Child Cost (in Rs.)	Per Center Financial Cost (in Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including kitchen Equipments	400	10000	
2	Subtotal (Non-Recurring Cost)	400	10000	
	Recurring Cost			
(a)	Maintenance including food charges	2700	67500	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc.	60	1500	For 3 Months
(c)	Medical care/contingencies	50	1250	For 3 Months
(d)	Miss. Expenses	50	1250	For 3 Months
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	660	16500	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	540	13500	4500 per month
(iii)	Cook	540	13500	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	4600	115000	
	Grand Total	5,000	125000	

बजट मापन 2018-19

स्वीजनल छात्रावास

(प्रति विद्यार्थी 6 माही यूनिट कॉस्ट @ 10000 तथा प्रति स्वीजनल छात्रावास 25 विद्यार्थी)

(तालिका 9)

S.No.	Items	Per Child Cost (in Rs.)	Per Center Financial Cost (in Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including kitchen Equipments	800	20000	
2	Subtotal (Non-Recurring Cost)	800	20000	
	Recurring Cost			
(a)	Maintenance including food charges	5400	135000	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc.	120	3000	For 6 Months
(c)	Medical care/contingencies	100	2500	For 6 Months
(d)	Miss. Expenses	100	25800	For 6 Months
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	1320	33000	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1080	27000	4500 per month
(iii)	Cook	1080	27000	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	9200	2,30,000	
	Grand Total	10,000	2,50,000	

बजट प्रावधान 2018-19

संलग्नक 10

(प्रति विद्यार्थी 9 माह की सीमा पर 15000 तथा प्रति सीजन छात्रावास 25 विद्यार्थी)

(नॉटिफिकेशन 10)

S.No.	Items	Per Child Cost (in Rs.)	Per Center Financial Cost (in Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including Kitchen Equipments	1200	30000	
2	Subtotal (Non-Recurring Cost)	1200	30000	
	Recurring Cost			
(a)	Maintenance including food charges	8100	202500	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc.	180	4500	For 9 Months
(c)	Medical care/contingencies	150	3750	For 9 Months
(d)	Miss. Expenses	150	3750	For 9 Months
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	1980	49500	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1620	40500	4500 per month
(iii)	Cook	1620	40500	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	13800	345000	
	Grand Total	15000	375000	

- पीएचडी 2018-19 में Seasonal छात्रावास में 3 माह हेतु बजट प्रावधान 5000/- रुपये प्रति बालक-बालिका, 6 माह हेतु बजट प्रावधान 10000/- रुपये प्रति बालक-बालिका तथा 9 माह हेतु बजट प्रावधान 15000/- रुपये प्रति बालक-बालिका, स्वीकृत किया गया है।
- Seasonal छात्रावास का संपूर्ण व्यय प्रोक्विस्ट्रीट निर्देशों के अनुसार Seasonal छात्रावास स्थल की एसेएमसी द्वारा किया जाएगा।
- कच की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु Seasonal छात्रावास स्थल के एसेएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)/ ग्रामी क्षेत्र में नोडल संचालन रूप से उत्तरदायी होंगे।
- Seasonal छात्रावास के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक-बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर की प्रामाणिक फोटो प्रति संलग्न कराई जाकर तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये परीक्षण को ध्यान में रखा जाकर औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- Seasonal छात्रावास में किये गये समस्त व्यय का भुगतान बैंक द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
- असेमायोजित छात्रों को ब्लॉक/एसेएमसी स्तर से प्राप्त कर जिना कार्यालय के लेखों में प्रविष्टि की जावे।
- अनावर्ती भूद में उपलब्ध छात्र अनावर्ती प्रवृत्ति की है, जिसका प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नहीं किया जाएगा। गत वर्ष में जिना जिलों में छात्रावास संचालित किये गये थे उन जिलों में गत वर्ष में स्थायी सामग्री कच करने हेतु छात्रा उपलब्ध करवायी गई थी, उसमें से कच की

गयी स्थायी सामग्री का उपयोग इस वर्ष की गतिविधि हेतु किया जावे। सामग्री के अनुपयोगी होने पर एवं अनुपलब्धता की स्थिति में आवश्यकता होने पर ही बीईईओ की स्वीकृति प्राप्त कर एसएमसी द्वारा नवीन सामग्री का कय किया जावे, जिसकी प्रविष्टी स्थायी रजिस्टर में आवश्यक रूप से की जावेगी।

- छात्रावास स्थान की स्थिति में जो भी स्थायी सामग्री कय की जावेगी, उसकी स्वीक रजिस्टर में प्रविष्टि कर संचालन अवधि के पश्चात पीईईओ/जीडल संस्था प्रधान की संमति जावेगी।
- भोजन व्यवस्था हेतु एसएमसी द्वारा टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जा सकता है। इस हेतु उन्हे सामान्य विनियम एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। टेण्डर प्रक्रिया करने पर ईंधन एवं कुक का मानदेय देय नहीं होगा।

- Seasonal छात्रावास हेतु अभियम राशि के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (माईग्रंटेटी छात्रावास स्थल) स्तर पर संचालित किए जावे, जिसमें (1) अभियम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अभियम में से हुए व्यय के समाधान पश्चात शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- नियमागुसार एक अभियम के मुताबिक के पश्चात जब तक अभियम दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समाधान नहीं कर दिया जाता तब तक दसरी अभियम राशि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए। अतः उक्त प्रक्रिया की पालना की जावे।

- Seasonal छात्रावास हेतु किए गए व्ययों का निश्चित समावर्धित में समाधान करवाने हेतु सम्बन्धित प्रभार अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शास्त्री क्षेत्र में जीडल) लिम्बदार होगा।
- जिला कार्यालय द्वारा अभियम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने ही राशि समाधान कर आदेश जारी किया जावे।
- समाधानित राशि एवं असमाधानित राशि के संबंध में व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एसएमसी स्तर पर संचालित किये जावे।

- Seasonal छात्रावास में आवंटित मद अगुसार निष्पत्ति बचत से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमागुसार कार्रवाई की जाकर बसूनी की जाएगी।
- गतिविधि के संचालन हेतु राशि की और आवश्यकता होने पर पुनर्वित्तियोजन प्रस्ताव परिषद् को समय रहते जमावे जाए, जिससे मुताबिक प्रक्रिया बिना विनियम के पूर्ण हो सके।

- Seasonal छात्रावास में बालक-बालिकाओं की संस्था के आधार पर आनुषंगिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाए जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद् कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- निश्चित अवधि के बाद बिना समय स्वीकृति के माईग्रंटेटी छात्रावास नहीं चलाये जाए।
- अनावश्यक मुताबिक राशियों एवं उसी विनियम वर्ष में मुताबिक नहीं होने पर जवाबदेही अनिवार्य जिला परियोजना समन्वयक की होगी एवं आने विनियम वर्ष में मुताबिक करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- निरीक्षण अधिकारी बालक/बालिकाओं तथा वाईन/संयुक्त शिक्षक ही उपस्थिति पंजीका में अवलोकन करें

- वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विनियम वर्ष में आपके जिले को आवंटित विविध गतिविधियों का आवश्यक रूप से संचालन करना है। ऐसा नहीं करने पर शेषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमागुसार कार्रवाई की जावेगी।

इन दिशा निर्देशों के अनुसार सीजनल छात्रावासों का संचालन किया जाएगा। दिशा निर्देशों की शी-
प्रतिपाल पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न :- (परिशिष्ट 1-7)

(विभागीय स्तर/कार)
राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक:- 20/9/18

क्रमांक:- राभाहिप/जय/वै.हि./ 2018-19/ 6629
प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनाएँ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार

जयपुर।

2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक समूह शिक्षा अभियान, जयपुर।

3. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक समूह शिक्षा अभियान, जयपुर।

4. निदेशक वित्त एवं लेखा, राभाहिप जयपुर।

5. उपायुक्त (योजना) राभाहिप जयपुर।

6. निजी प्रभारती अधिकारी, निजी-.....।

7. निजी / अतिरिक्त निजी परियोजना समन्वयक, समूह शिक्षा अभियान, समस्त निजी।

8. राक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
20/9/18

परिशिष्ट 1 Seasonal छात्रावास संचालन प्रस्ताव

(अर्थात् क्षेत्र की एस.एम.सी. से सीजनल छात्रावास संचालन प्रस्ताव तैयार कराकर PEO/Nodal द्वारा BEO को एवं BEO द्वारा DPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

1. नाम ज्ञात :- छात्रक-
2. स्थान का नाम, जहाँ सीजनल छात्रावास संचालित किया जाएगा -
3. Seasonal छात्रावास संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम -

नोडल/ PEO-

विद्यार्थी विवरण:-

क. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. सं.	गाम	विद्यार्थी	अभिभारक का नाम	अध्यक्ष का नाम	श्रेणी	कक्षा	एस.आर. नाम	परिवार के पलायन का स्थान	कब से (कब तक)	कारण

- प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त सूची के अनुसार विद्यार्थियों की पालना जाँच कर ली गई है।
- सीजनल छात्रावास स्थल के गाम सरपंच/वार्ड प्रभारी से छात्रावास की आवश्यकता एवं प्रारम्भ किये जाने की अभ्यर्था प्राप्त कर ली गई है।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

- जाँच की जाकर अनुमोदन सहित स्वीकृति हेतु जिला परियोजना समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत।

हस्ताक्षर,
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,

- जिला परियोजना समन्वयक की दिशा:-

हस्ताक्षर,

जिला परियोजना समन्वयक,

५३ / एव
५३

३. अक्षरानु.

